



कार्यालय

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, दुमका (झारखण्ड)

(जिला राजस्व शाखा)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

भारत सरकार/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कम्पनियों/प्रतिष्ठानों/उद्यमों/एजेन्सियों/निगम/बोर्ड (प्रयोक्ता एजेन्सी) के लिए गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी) जंगल-सखुआ जंगल इत्यादि के उपयोजन हेतु झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड को अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नवत् निर्गत किया जाता है:-

क्र०	प्रखण्ड का नाम	मौजा का नाम	थाना नं०	दाग नं०	रकबा (हे० में)	भूमि का किस्म	अभियुक्ति
1	सरैयाहाट	विरना	21	79	0.1280	J.J.	—
2	सरैयाहाट	गंगटा	34	42	0.1785	J.J.	—
3	सरैयाहाट		34	49	0.3624	J.J.	—
4	सरैयाहाट		34	66	0.0083	P.F	—
5	सरैयाहाट		34	40	0.0530	J.J.	—
6	सरैयाहाट		34	47	0.0338	P.P.F	—
7	सरैयाहाट	चकरापाथर	24	1	0.4527	P.F	—
8	सरैयाहाट		24	3	0.5577	P.F	—
9	सरैयाहाट	बुढीझिलवा	26	457	0.2375	J.J.	—
10	सरैयाहाट	पथरिया	20	163	0.0290	P.P.F	—
11	सरैयाहाट		20	278	0.1831	P.P.F	—
12	सरैयाहाट		20	276	0.1557	P.P.F	—
13	सरैयाहाट	पिंडरा	34	644	0.5580	P.F	—
कुल-					2.9377		

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प सं०-1817/रा०, दिनांक-30.04.2015 के आलोक में गैरमजरूआ Deemed Forest.भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत् हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर मजरूआ भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायगा। गैर मजरूआ, जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सःशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।


18/12/24
उपायुक्त,
दुमका।

ज्ञापांक.....543...../रा०, दुमका, दिनांक.....06.08.2024.....

प्रतिलिपि :- वरीय प्रबंधक, संचरण प्रमण्डल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उपायुक्त,
दुमका।